

नम्बर व  
अहकाम  
हुकम को  
में जारी  
तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही का उद्दिष्ट्य क्या है

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

11-11-25

पञ्जाबली केसा डुर्ब, वकील शर्मा उपस्थित, वकील  
शर्मा का प्रा-पत्र व्यापकित में स्वीकार किया जाकर  
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शांति किया  
गया। पञ्जाबली फौजल शुमार होकर नम्बर से  
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीमवाड़ा



राजस्थान - सरकार



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- संजना जोशी आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 469/25 प्रा.पत्र

1- श्री गोमाखलाल डोश्री भुवना तेली शिवासी-माणव्यास तहसील-माण्डल -प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती मानी लो श्री मोहन जाट शिवासी-माणव्यास तहसील-माण्डल (वर्ग 0) -विपक्षीगण  
[प्रत्यक्षोक्ति प्रा.पत्र सलजंग]

::प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956::

दिनांक:- 11-11-25


-: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माणव्यास पटवार हल्का भावलास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 770/63.6 कुल किता 0.1 रकबा 1.0.6.2.3 है 0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25-2-25 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

-: आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माणव्यास पटवार हल्का भावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 770/63.6 कुल किता 0.1 रकबा 1.0.6.2.3 है 0 भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काशोर को 6.00 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा